FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ———उपखण्ड अधिकारी——— मुकाम ———चिड़ावा———

———रेशमी———बनाम——— राज0 सरकार ———

किस्म मुकदमात———अ0 धारा 136———नं.——132——सन् —2020———

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
29.10.20	आज यह प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल0आर0एक्ट बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थना पत्र में तहसीलदार चिड़ावा से रिपोर्ट प्राप्त हुई। आवेदिका ने मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा व आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर आवेदिका का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाप्ता दाखील दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी चिडावा जिला झुन्झुनू (राज.)	
25/1/21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थिया ने शपथ पत्र प्रार्थिया की ओर से पेश कर निवेदन किया है कि उनवानी प्रकरण में प्रार्थिया ने राजस्व रिकार्ड में रेशमा पुत्री गोरखराम के स्थान पर रेशमी पुत्री गोरखराम दुरूस्त करवाने के लिए आवेदन किया था जिसमें पटवारी हल्का ने प्रार्थिया के पिता के नाम में गलती से गोरखराम के स्थान पर गोरखाराम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थिया का स्वयं का नाम रेशमी है तथा प्रार्थिया के पिता का नाम गोरखराम है। उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के माता का नाम शुभाष देवी पत्नी गोरखराम व प्रार्थिया की बहने किरण व रघुवीर के पिता के नाम में भी गोरखराम नाम दर्ज है। यह कि प्रार्थिया के पिता का सही एवं वास्तविक नाम गोरखराम ही है अतः कारण गोरखराम नाम किया जाना न्यायोचित है। वकील प्रार्थिया का शपथ पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय दिनांक 29-10-20 में लाल स्याही से [illegible] प्रकरण प्रार्थिया के पिता का नाम [illegible] गोरखराम किया जाकर दुरूस्त किया [illegible] वकील पत्रावली है। उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.07.19 12:57:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner